Axis PayGO प्री-पेड वॉलेट के नियम-शर्तें

ये नियम व शर्तें ("नियम") ऐक्सिस बैंक द्वारा Axis PayGO के माध्यम से प्रदान किए जा रहे विशिष्ट उत्पादों पर सेवाओं पर लागू हैं और उनके प्रावधानों को नियमित करती हैं।

1. परिभाषाएँ

"ट्रांज़ेक्शन / ट्रांज़ेक्शंस" से आशय ऐक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से सुविधाएँ लेने के लिए ग्राहक द्वारा किए गए ट्रांज़ेक्शंस से है।

"वेबसाइट" से आशय https://www.axisbank.com/bank-smart/axis-PayGO यूआरएल पर Axis PayGO पर होस्ट की गई वेबसाइट से है, ग्राहक इस यूआरएल पर Axis PayGO की सेवाएँ लेने के लिए जाते हैं।

"बैंक" से आशय ऐक्सिस बैंक लिमिटेड से है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्मित एक कंपनी है और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1956 की परिभाषा में एक बैंकिंग कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तीसरा तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद- 380006 है और इस परिभाषा में उनके वारिस और समनुदेशिती भी शामिल हैं।

"Axis PayGO खाते / खाते" से आशय उस प्रीपेड खाते से है जो ऐक्सिस बैंक द्वारा Axis PayGO सिस्टम में ऐक्सिस बैंक द्वारा आवेदक के नाम पर मेंटेन किया जाता है। यह खाता ग्राहक के वर्तमान ऐक्सिस बैंक बचत खाते से लिंक होता है। यह खाता उन विशिष्ट ग्राहकों के लिए है जिन्हें ऐक्सिस बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से ऐसे खाते के लिए पात्र मानता है।

"बचत खाते" से आशय ऐक्सिस बैंक में जारी ग्राहक के उस बचत खाते से है जिसे Axis PayGO से लिंक किया गया है।

"ग्राहक" या **"आप"** से आशय उस व्यक्ति से है जिसने ऐक्सिस बैंक द्वारा Axis PayGO खाते के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराया है और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए नियम स्वीकार किए हैं।

"एन्टरप्राइज़" से आशय उस कंपनी / भागीदारी फ़र्म / एकल स्वामित्व वाली फ़र्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / संस्था से है जो ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रदान की जा रही Axis PayGO सुविधा का उपयोग अपने कर्मचारियों / विद्यार्थियों / सदस्यों / कन्सल्टेंट्स / एजेंट्स / वितरकों आदि के लिए करना चाहती है।

"कार्ड या टैग" से आशय फ़ील्ड कम्यूनिकेशन कार्ड के पास एक प्रीपेड या एन्टरप्राइज़ / बैंक द्वारा ग्राहक / ग्राहकों को जारी टैग से है जिसके उपयोग से वे Axis PayGO के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए मर्चेंट ऐस्टेब्लिशमेंट में ओवर द काउंटर ट्रांज़ेक्शन कर सकते हैं।

"कार्डधारक / कार्डधारकों" से आशय उन कर्मचारियों / विद्यार्थियों / कॉर्पोरेट्स / शिक्षण संस्थाओं / गेटेड कम्युनिटीज़ के सदस्यों से है जिन्होंने भारत में अपने कैम्पस / बिल्डिंग / कार्यालयों कॉर्पोरेट या शिक्षण संस्थाओं / गेटेड कम्युनिटीज़ में ऐक्सिस बैंक वॉलेट पेमेंट इकोसिस्टम स्थापित करवाया है और उसे सफलतापूर्वक ऐक्सिस बैंक में रजिस्टर करवाया है और बचत / वेतन खाते के कार्डधारक होने की वजह से यह सुविधा प्रदान की है।

"मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट" यानी वे विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान्न या आउटलेट जो ऐक्सिस बैंक से Axis PayGO सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं ताकि एनएफ़सी टैग के माध्यम से अपने भुगतान प्राप्त कर सकें। मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट में कैंटीन वेंडर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर शामिल हैं।

"सेवाएँ" यानी ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक / ग्राहकों को बैंक खाते के माध्यम से और समय-समय ऐक्सिस बैंक द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएँ। ऐक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से बचत खाते से अन्य खाते में धन का अंतरण और ऐक्सिस बैंक एसएमएस बैंकिंग सेवा।

2. नियमों का लागू होना

ये नियम ग्राहक और ऐक्सिस बैंक के बीच एक करार हैं। ग्राहक एक निर्धारित फ़ॉर्म में खाता खोलने / खाते के संचालन और संबंधित सेवाएँ लेने के लिए ऐक्सिस बैंक को आवेदन करेगा। खाता खोलने का आवेदन करते हुए ग्राहक यह स्वीकार करता है कि उसने ये नियम समझ लिए हैं और स्वीकार किए हैं।

3. पात्रता मानदंड

(i) यह खाता और सेवाएँ केवल निवासी भारतीयों के लिए ही उपलब्ध हैं जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है और जो करार निष्पादन के लिए सक्षम हैं। यह निर्णय पूरी तरह बैंक के विवेकाधिकार में रहेगा कि किसी भी आवेदक / ग्राहक को ये सुविधाएँ उपलब्ध न कराए यदि उसके क्रेडेंशियल्स ऐक्सिस बैंक द्वारा संकल्पित मानदंडों के अनुरूप न हों।

(ii) ग्राहक यह स्वीकार करता है कि यदि उसके पास वर्तमान में ऐक्सिस बैंक में Axis PayGO खाता सक्रिय है तो वह इस खाते के लिए आवेदन / रजिस्टर नहीं कर सकता / सकती। हालांकि, Axis PayGO खाता खोलने के लिए ग्राहक का वर्तमान में ऐक्सिस बैंक बचत खाता ग्राहक होना आवश्यक है।

4. खाते का संचालन और एनएफ़सी कार्ड / टैग

(i) एक व्यक्ति के नाम से चल रहे खाते का संचालन एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। खाता दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से / संयुक्त नाम के साथ खाता नहीं खोला / संचालित किया जाना चाहिए।

(ii) ग्राहक को सफल रजिस्ट्रेशन और ऐक्सिस बैंक द्वारा आवश्यक अन्य संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) ग्राहक ऐक्सेस प्रोवाइडर से प्राप्त अपने सक्रिय मोबाइल फ़ोन नंबर देकर रखे ताकि ग्राहक खाते व अन्य सेवाओं तक पहुँच सके। ग्राहक यह सुनिश्चित करे कि उसके हैंडसेट / मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग एसएमएस की सुविधा हो। ग्राहक अपने मोबाइल नंबर बदलने की सूचना शीघ्र ऐक्सिस बैंक को दे।

(iv) ग्राहक इस बात से अवगत है और स्वीकार करता है कि सेवा की परफॉर्मेंस ऐक्सेस प्रोवाइडर द्वारा दिए जा रहे नेटवर्क पर निर्भर है। ग्राहक यह पुष्टि करते हुए स्वीकार करता है कि यह सेवा / सेवाएँ केवल ऐक्सेस प्रोवाइडर से प्राप्त मान्य मोबाइल फ़ोन नंबर पर ही उपलब्ध है और वर्तमान ऑपरेटर की सेवाओं में बदलाव या मोबाइल नंबर समाप्त होने की स्थिति में सेवाएँ रुक जाएँगी।

(v) ग्राहक अपने मोबाइल से मोबाइल नंबर 97170 00002 पर “PAYGO MINI” एसएमएस करके मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। ऐक्सिस बैंक ग्राहक को स्टेटमेंट की भौतिक (हार्ड) कॉपी उपलब्ध नहीं कराएगा।

(vi) ग्राहक अपने मोबाइल से 97170 00002 पर “PAYGO” एसएमएस करके अपने बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं।

(vii) ग्राहक द्वारा खाते के माध्यम से किए गए वित्तीय ट्रांज़ेक्शंस से संबंधित किसी भी पुख्ता जानकारी का एकमात्र स्रोत बैंक के रिकॉर्ड्स होंगे।

(viii) ग्राहक सुनिश्चित करे कि यह खाता या अन्य कोई भी सेवाएँ किसी गैर-कानूनी उद्देश्य, अनुचित कार्य या इन नियमों के तहत अनधिकृत कार्यों के लिए उपयोग में न ली जाएँ।

5. डॉक्यूमेंटेशन

(i) ग्राहक से संबंधित सूचना प्राप्त करना, उसका सत्यापन, ऑडिट और सही व अद्यतन सूचना की मेंटनेंस एक निरंतर प्रक्रिया है और ऐक्सिस बैंक यह अधिकार रखता है कि सभी प्रासंगिक और लागू केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय आवश्यक कदम उठाए। ऐक्सिस बैंक को यह अधिकार है कि ग्राहक की सूचनाओं में / ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में किसी भी समय किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर बैंक उसे सेवाएँ रोक सकता है / आवेदन निरस्त कर सकता है और / या खाता बंद कर सकता है।

(ii) खाते के संबंध में ऐक्सिस बैंक को उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी ऐक्सिस बैंक के पास रहेगी और बैंक अपने विवेक से, लागू कानूनों या विनियमों के अंतर्गत उसका किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है।

(iii) यदि आपके द्वारा केवाईसी दस्तावेज़ों / ऐक्सिस बैंक बचत खाते में दी गई जानकारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में घोषित विवरण से मिलान नहीं करती है तो ऐक्सिस बैंक को खाता बंद करने का अधिकार होगा।

6. सेवा-उपयोग की सामान्य शर्तें

(i) ये सेवाएँ केवल उन निवासी भारतीयों के लिए जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और करार करने के लिए सक्षम हैं।

(ii) ये सेवाएँ स्थानांतरणीय नहीं हैं।

(iii) बैंक ट्रांज़ेक्शन पर ग्राहक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता। हालांकि, बैंक यह अधिकार रखता है कि वह कार्डधारक से किसी भी प्रकार का शुल्क / कार्ड से किए गए ट्रांज़ेक्शन पर किसी भी समय शुल्क ले सकता है।

(iv) इस खाते में किसी भी समय ₹10,000/- से अधिक का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कोई ग्राहक प्रति ट्रांज़ेक्शन अधिकतम ₹2,000/- खर्च कर सकता है और खाते के माध्यम से प्रति माह ₹10,000/- अधिकतम खर्च कर सकता है। ऐक्सिस बैंक अपने एकल विवेकाधिकार से इन सीमाओं की समीक्षा कर सकता है और ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए इनमें परिवर्तन कर सकता है। ये सीमाएँ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार भी समय-समय पर बदली जा सकती हैं।

(v) ऐक्सिस बैंक निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आपको दी जा रही सेवाएँ किसी भी समय रोकी / बंद की जा सकती हैं:

(a) कोई भी कारण, जिसमें निम्नलिखित शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, आरबीआई और / या किसी अन्य सावंधिक या नियामक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों, अधिसूचनाओं का संदेहास्पद उल्लंघन या इन नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन।

(b) विवरण, दस्तावेज़ों या रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की संदेहास्पद विसंगति होने पर।

(c) ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया गया फ़ॉर्म

(d) संभावित धोखाधड़ी, नुकसान, जानबूझकर किए जाने वाले विध्वंस, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की आशंका से निपटने के लिए या किसी भी अन्य अप्रत्याशित घटना आदि की वजह से।

(e) यदि यह किसी आकस्मिक तकनीकी विफलता, संशोधन, अपग्रेडेशन, वेरिएशन, रीलोकेशन, रिपेयर और / या मेंटनेंस या किसी तकनीकी कारणों से है।

(vi) ग्राहक को केवल एक खाता मेंटेन व संचालित करने की अनुमति होगी। इस नियम के संदेहास्पद उल्लंघन पर ऐक्सिस बैंक में खोले गए आपके किसी भी / सभी Axis PayGO खातों को निलंबित / बंद किया जा सकता है।

7. जमाएँ और आहरण

(i) किसी भी सेवा का अनुरोध करने से पहले ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा / करेगी कि उसके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। ग्राहक यह समझते हुए सहमति व्यक्त करता है कि धनराशि पर्याप्त नहीं होने की वजह से उसके अनुदेशों का पालन नहीं होने पर ऐक्सिस बैंक उसके लिए ज़िम्मेदार / जवाबदेह नहीं होगा। ग्राहक यहाँ सहमत है कि उसके खाते में अपर्याप्त धनराशि होने की वजह से या उसके संबंध में ऐक्सिस बैंक की किसी भी और सभी देयता तथा किसी भी अन्य नुकसान का अपने खर्च से वहन करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, ऐक्सिस बैंक का बचाव करेगा और उसे नुकसान से सुरक्षित करेगा।

(ii) ग्राहक यह स्वीकार करता / करती है कि मोबाइल नंबर का सही विवरण और सही जमा / ट्रांज़ेक्शन राशि डालने की ज़िम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मोबाइल नंबर, ऐक्सेस प्रोवाइडर और / या खाते से ट्रांज़ेक्शन की राशि डालने में हुई गलती या किसी भी संबंधित गलती के लिए ऐक्सिस बैंक को किसी भी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) ग्राहक के खाते को डेबिट करने के ग्राहक के अनुदेश पर बैंक द्वारा उसी क्षण (रीयल टाइम) कार्रवाई की जाएगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर बैंक ग्राहक को सूचित करेगा। इसलिए, रीयल टाइम ट्रांज़ेक्शंस के मामले में, खाते से भुगतान रोकने के ग्राहक के अनुदेश पर बैंक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा और ऐसी मामलों में, एक बार राशि डेबिट होने के बाद वह राशि खाते में पुनः नहीं डाली जा सकेगी।

(iv) गलत प्रविष्टि वाले ट्रांज़ेक्शन, या ऑटो-डायलिंग, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट या स्पेल चेक प्रोग्राम या अन्यथा गलती से या त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ किए जाने वाले ट्रांज़ेक्शन अनुरोध को बैंक अनधिकृत ट्रांज़ेक्शन नहीं मानेगा। बैंक अपने वाजिब नियंत्रण से बाहर हुए सभी या किसी भी भुगतान या विलंबित भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। बैंक सेवाओं के उपयोग के लिए शुल्क लेने और शुल्कों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे किसी भी शुल्क के बारे में उचित नोटिस https://www.axisbank.com/bank-smart/axis-PayGO पर दिया जाएगा।

(v) बैंक को यह अधिकार है कि वह ग्राहक द्वारा ट्रांज़ेक्शन अनुरोध के संबंध में भेजे गए वैकल्पिक संदेशों को ब्लॉक कर दे, लेकिन ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं।

8. कार्ड की वैधता और उपयोग

(i) यह कार्ड केवल कॉर्पोरेट्स / शिक्षण संस्थाओं / गेटेड कम्युनिटीज़ के भीतर ही वैध होगा।

(ii) इस कार्ड की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। लेकिन, कार्डधारक द्वारा डी-रजिस्ट्रेशन का अनुरोध करने पर यह प्रक्रिया कर देने के पश्चात कार्डधारक इस कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा।

(iii) कार्ड या ट्रांज़ेक्शन के संबंध में बैंक के साथ समस्त कम्यूनिकेशन केवल आवेदक द्वारा किया जाएगा। बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में समस्त कम्यूनिकेशन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से या सीधे आवेदक को किया जाएगा।

(iv) कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा किया जाएगा और यह स्थानांतरणीय नहीं है।

(v) कार्ड से ट्रांज़ेक्शन किए जाने पर वह राशि उस समय उपलब्ध राशि में से कम हो जाएगी और उस ट्रांज़ेक्शन के बाद शेष राशि उपलब्ध बैलेंस होगी। यदि ट्रांज़ेक्शन निष्पादित करने लायक पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है तो ट्रांज़ेक्शन कार्यान्वित नहीं हो पाएगा।

(vi) Axis PayGO कार्ड पर नकद आहरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(vii) कार्ड पर उपलब्ध / लोड की गई धनराशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(viii) वेबसाइट में लॉगिन करके या डेबिट कार्ड विवरण डालकर और ऐक्सिस बैंक की एसएमएस बैंकिंग सेवा के माध्यम से कार्ड में धनराशि पुनः लोड की जा सकती है।

9. ग्राहक की वचनबद्धता

(i) ग्राहक समझता है कि उसके द्वारा ऐक्सिस बैंक को उपलब्ध कराया गया नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण iKaaz सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे यहाँ iKaaz कहा जाएगा) के साथ शेयर किया जाएगा ताकि उससे वॉलेट बनाया जा सके और संचालन आरंभ किया जा सके।

(ii) ग्राहक समझता है और सहमत है कि ऐक्सिस बैंक के रिकॉर्ड्स में दर्ज जानकारी के अनुसार उसका खाता ग्राहक के मोबाइल नंबर और / या कार्ड से लिंक रहेगा। मोबाइल फ़ोन और/या मोबाइल सिम और / या कार्ड के खो जाने / चोरी होने / इधर-उधर रखने जाने या संबंधित ऐक्सेस प्रोवाइडर द्वारा मोबाइल कनेक्शन को डिएक्टिवेट करने पर खाते का किसी भी प्रकार अनिधिकृत उपयोग होने पर ऐक्सिस बैंक को उसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) ग्राहक अपने मोबाइल से 97170 00002 पर “PAYGO LOCK” एसएमएस करके अपना एनएफ़सी कार्ड / टैग लॉक करवा सकते हैं।

(iv) ग्राहक बैंक को ट्रांज़ेक्शन और अनुदेश निष्पादित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत कर रहा है और वह अपने अनुदेश वापस नहीं ले सकता। प्राप्त ट्रांज़ेक्शन अनुदेशों की प्रामाणिकता सत्यापित करने की बैंक पर कोई बाध्यता नहीं है। ग्राहक सहमत है कि खाते में किसी भी ट्रांज़ेक्शन की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए ऐक्सिस बैंक को किसी भी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(v) ग्राहक को इस खाते से ऐक्सिस बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स पर ट्रांज़ेक्शन करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

(vi) ग्राहक निर्धारित मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स पर उपलब्ध एनएफ़सी कार्ड / टैग रीडर डिवाइस के माध्यम से अपने खाते से भुगतान कर सकता है।

(vii) ग्राहक यह पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि एनएफ़सी कार्ड / टैग रीडर डिवाइस के माध्यम से किए गए भुगतानों पर मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट लेवी सरचार्ज ले सकता है और वह राशि ट्रांज़ेक्शन राशि के साथ खाते से डेबिट की जाएगी।

(viii) ग्राहक सहमत है और यह वचन देता है कि वह इन सेवाओं का उपयोग ऐसे किसी उद्देश्य से नहीं करेगा जो लागू कानून, विनियमन, दिशानिर्देश, न्यायिक निर्देश,

ऐक्सिस बैंक पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ या विपरीत माना जाए, वह ऐसे किसी उद्देश्य से भी इन सेवाओं को उपयोग नहीं करेगा जिनसे ऐक्सिस बैंक की साख पर नकारात्मक राय बने।

(ix) कार्डधारक स्वीकार करता / करती है कि रजिस्ट्रेशन या PAYGO वॉलेट लोड करते समय सही विवरण दर्ज करने की ज़िम्मेदारी उसकी होगी। कार्डधारक के गलत विवरण दर्ज करने पर या इस संबंध में हुई किसी भी गलती की वजह से हुए किसी भी त्रुटिपूर्ण ट्रांज़ेक्शन के लिए ऐक्सिस बैंक किसी भी स्थिति में ज़िम्मेदार नहीं होगा।

(x) कार्डधारक सहमत है कि वह अपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट / डेबिट कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, या ऐसी कोई भी संवेदनशील जानकारी जिसमें ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भी शामिल है, किसी भी iKaaz कॉल सेंटर एजेंट या अन्य व्यक्ति या ऐक्सिस बैंक के कर्मचारी को नहीं देगा।

10. भुगतान अनुदेशों का पालन करना

निम्नलिखित परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति होने पर यदि ऐक्सिस बैंक भुगतान अनुदेश पर कार्रवाई करने में असमर्थ है तो ऐसे में ऐक्सिस बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी:

(i) यदि भुगतान को प्रभावी करने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है।

(ii) यदि खाते में उपलब्ध धन पर किसी प्रकार का ऋण-भार (encumbrance) या चार्ज है।

(iii) ग्राहक ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और बैंक को इसकी सूचना नहीं दी है और बैंक के रिकॉर्ड्स में उसमें परिवर्तन करना शेष है।

11. प्रकटीकरण

(i) बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य संस्थाओं के समक्ष कार्ड या कार्डधारक से संबंधित ऐसी जानकारी प्रकट करे जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स ट्रांस्फर नेटवर्क में उसकी सहभागिता के लिए आवश्यक व उचित हो।

(ii) ईडीसी, पीओएस उपकरणों, एनएफ़सी उपकरणों पर कार्ड का उपयोग कार्डधारक की ओर से यह स्पष्ट सहमति है कि

(a) बैंक उचित ट्रांज़ेक्शन रिकॉर्ड्स बनाए रखने के लिए आवश्यक किसी भी तरीके से पहचान और कार्ड बैलेंस जानकारी का एकत्रण, संग्रहण, कम्यूनिकेशन और प्रोसेसिंग कर रहा है।

(b) कार्ड के एनएफ़सी, ईडीसी, पीओएस पर उपयोग के लिए कार्डधारक का खाता विवरण और ट्रांज़ेक्शन सूचना और अन्य आवश्यक डेटा सहभागी और प्रोसेसर नेटवर्क / अन्य नेटवर्क को जारी करना व ट्रांसमिट करना।

(c) इन सहभागियों और बैंक / अन्य नेटवर्क्स के प्रोसेसर्स में ऐसी सूचना बनाए रखना।

(d) उन प्रचलित कानून तथा विनियमों के अंतर्गत बैंक के नेटवर्क / अन्य नेटवर्क में उक्त सहभागियों और प्रोसेसर्स द्वारा सूचना प्रकट करना जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं।

(e) तृतीय पक्षों को ट्रांज़ेक्शन से संबंधित सूचना प्रकट करने के लिए जिसमें ट्रांज़ेक्शन पूरा करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, अथवा कानून या सरकारी एजेंसी या कोर्ट ऑर्डर या कानूनी कार्यवाही के अनुपालन में ऐसा करना आवश्यक हो या त्रुटियों के निवारण या कार्डधारक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान के लिए ऐसा करना आवश्यक हो या बैंक की आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

(iii) कार्डधारक यहाँ स्पष्ट रूप से बैंक को अधिकृत करता है कि बैंक किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत विवरण, कार्ड ट्रांज़ेक्शन, बैंक के साथ डीलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी उसके प्रधान कार्यालय या अन्य कोई शाखा, सब्सिडियरी, या बैंक के सहयोगी या संबंधित कॉर्पोरेशंस के समक्ष प्रकट करे, और ये कहीं भी स्थित हो सकते हैं, भारत में किसी भी सरकार या नियामक एजेंसियों या प्राधिकारियों या कहीं और अन्य एजेंट्स या कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ बैंक के लाभ के लिए कोई सेवा / सेवाएँ निष्पादित करने के लिए करार किया गया हो और अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कानून के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यक हो या अन्यथा बैंक ऐसा प्रकटीकरण करना उचित समझे।

(iv) इन खातों की देयताओं का भुगतान ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किया जाना है और यह स्थानीय कानूनों के अधीन है (इनमें कोई भी सरकारी अधिनियम, आदेश, डिक्री और विनियमन तथा राजकोषीय व एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है)।

12. अतिरिक्त नियम व शर्तें

(i) मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या शिकायत का निपटान ग्राहक सीधे उस मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि Axix PayGO का उपयोग करके खरीदी गई वस्तुओं और / या सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी के लिए ऐक्सिस बैंक ज़िम्मेदार या जवाबदेह नहीं होगा। जवाबदेही से मुक्ति का यह प्रावधान ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रमोशनल योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और / या सेवाओं पर भी लागू होगा। आपको यह अनुदेश दिया जाता है कि किसी भी वस्तु और / या सेवा की खरीद से पहले स्वयं को उसकी गुणवत्ता, मात्रा और उपयुक्तता के संबंध में आश्वस्त कर लें।

(ii) किसी भी प्रकार की शिकायत / क्वेरी के लिए कृपया iKaaz कस्टमर सपोर्ट से यहाँ संपर्क करें:

कस्टमर केयर नंबर	99720 22223 (सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध)
कस्टमर केयर ईमेल पता	mowa.support@ikaaz.com

(iii) साथ ही, कोई शिकायत / क्वेरी होने पर कार्डधारक संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त व सही जानकारी दे ताकि iKaaz मामले की जाँच कर सके और शिकायत या क्वेरी पर उचित प्रत्युत्तर दे सके।

(iv) ग्राहक द्वारा किसी मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट को गलती से अंतरित किसी भी राशि को ऐक्सिस बैंक किसी भी स्थिति में ग्राहक को वापस नहीं करेगा।

(v) किसी भी विवाद की स्थिति में खाते के माध्यम से हुए ट्रांज़ेक्शंस के लिए ऐक्सिस बैंक के रिकॉर्ड्स निष्कर्षात्मक साक्ष्य होंगे और उन्हें मानना बाध्यकारी होगा।

(vi) ऐक्सिस बैंक ग्राहक को सभी कम्यूनिकेशन एसएमएस के माध्यम से भेजेगा और एसएमएस मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर को डिलिवरी के लिए भेजना एसएमएस ग्राहक को प्राप्त हुआ माना जाएगा।

(vii) आप ऐक्सिस बैंक या iKaaz सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांज़ेक्शनल मैसेज सहित सभी प्रमोशनल, ऑफर्स या अन्य संदेश प्राप्त करने के लिए सहमत हैं।

(viii) कार्डधारक सहमत है कि वह अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट / डेबिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या अन्य ऐसी संवेदनशील जानकारी, जिसमें

ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) शामिल है, iKaaz कॉल सेंटर एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति या ऐक्सिस बैंक के कर्मचारी को नहीं देगा।

(ix) iKaaz से प्राप्त किसी भी भुगतान की मांग को बैंक भुगतान के लिए निष्कर्षात्मक प्रमाण मानेगा कि इस मांग पर रिकॉर्ड हुआ भुगतान मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट पर उचित ढंग से हुआ है और उसे कार्डधारक ने किया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें ट्रांज़ेक्शन होने से पहले कार्डधारक ने कार्ड के खो जाने, चोररी होने या धोखाधड़ीपूर्वक उपयोग की जानकारी दी है। हालांकि, यदि कार्डधारक ट्रांज़ेक्शन होने के बाद मोबाइल फ़ोन / एनएफ़एसी कार्ड खो जाने / दुरुपयोग होने की जानकारी देता है तो उस नुकसान का प्रमाण देने का दायित्व कार्डधारक / कार्डधारकों का होगा।

(x) जिन सेवाओं का यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, ऐक्सिस बैंक ऐसी सेवाओं के बारे में कोई व्यक्त या अव्यक्त वारंटी, गारंटी, रिप्रज़ेंटेशन या अंडरटेकिंग नहीं देता है।

(xi) ऐक्सिस बैंक किसी तीसरे पक्ष जिसमें iKaaz, मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट आदि शामिल हैं, के संबंध ऐक्सिस बैंक द्वारा अधिकृत सेवाओं से असंबंधित कार्यों या गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

(xii) किसी भी परिस्थिति में ऐक्सिस बैंक किसी विलंब, कारोबार के नुकसान, लाभ, राजस्व या गुडविल, अपेक्षित बचत, नुकसान, शुल्क लागत, खर्च आदि या परिणामस्वरूप हुए, विशेष या उदाहरणात्मक नुकसानों या PAYGO सेवाओं के संबंध में हुए नुकसान या सेवाओं की अनुपलब्धता / सेवाओं के उपयोग या उसकी वचनबद्धता के कार्यनिष्पादन या अन्यथा के लिए कार्डधारक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।

(xiii) ऐक्सिस बैंक ट्रांसमिशन में किसी त्रुटि, व्यवधान, विलंब, गलती होने, उपकरण में दोष या विफलता होने या मोबाइल सेवाओं के डिस्कनेक्शन / कार्ड उपयोग के समाप्त होने या अन्य किसी कारण जिनमें ट्रांसमिट का विफल होना या ऐक्सिस बैंक के नियंत्रण के बाहर का कोई कारण होना या अन्य कोई भी कारण, चाहे जो भी हो, की वजह से किसी व्यक्ति को पहुँची चोट या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

(xiv) iKaaz कार्डधारक को सभी कम्यूनिकेशन एसएमएस से भेजेगा और एसएमएस का मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर को डिलिवरी के लिए भेजना एमएमएस आपके द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(xv) ऑफर्स / प्रमोशनल कोड की डिलिवरी में किसी भी प्रकार के विलंब या नुकसान के लिए ऐक्सिस बैंक को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

(xvi) कोई वैकल्पिक ऑफर्स / प्रमोशनल कोड का ऑफर होने पर, उसका चयन पूरी तरह केवल ऐक्सिस बैंक के विवेक के अधीन होगा।

(xvii) ऐक्सिस बैंक ऑफर्स / प्रमोशनल कोड की गुणवत्ता, उपयोगिता, प्रासंगिकता और / या उसके कैरेक्टर के बारे में कोई गारंटी नहीं देता या कोई रिप्रज़ेंटेशन नहीं करता, और न ही उसके दोषपूर्ण होने पर ऐक्सिस बैंक को किसी भी प्रकार ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(xviii) ऐक्सिस बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी मर्चेन्ट एस्टेब्लिशमेंट या कार्डधारक को Axis PayGO से अपात्र / बाहर कर दे, यदि वे Axis PayGO के तहत मिलने वाले लाभ उठाने के उद्देश्य से या अन्यथा कार्ड के उपयोग द्वारा कोई धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि करते पाए जाएँ।

(xix) Axis PayGO प्रोग्राम अवधि की समाप्ति तिथि के 15 दिन बाद किसी क्वेरी पर जवाब नहीं दिया जाएगा। यदि ऑफर्स / प्रमोशनल कोड को लेकर कोई विवाद बना रहता है तो किसी भी स्थिति में इससे ऐक्सिस बैंक के प्रति कोई दावा नहीं बनता है।

(xx) Axis PayGO सर्विस में सहभागिता पूरी तरह से ऐच्छिक है और यह स्पष्ट है कि कार्डधारक / कार्डधारकों द्वारा इसमें की गई सहभागिता पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर की गई मानी जाएगी।

(xxi) ये नियम व शर्तें अतिरिक्त हैं, ये इस सुविधा को नियंत्रित करने वाले नियमों-शर्तों / प्राथमिक नियमों-शर्तों का विकल्प / अवमानना नहीं हैं। सभी कैपिटेलाइज़्ड शब्द जिनका उपयोग यहाँ किया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो इस सुविधा पर लागू नियमों-शर्तों / प्राथमिक नियमों-शर्तों में दिया गया है।

(xxii) कार्डधारक इस ऑफ़र अवधि केवल एक ऑफ़र/ प्रमोशनल कोड के लिए ही पात्र है।

(xxiii) ये नियम व शर्तें लागू विनियामक दिशानिर्देशों और प्रचलित कानूनों व विनियमों के अधीन हैं जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। ऐक्सिस बैंक को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह किसी भी समय, प्रचलित कानूनों और विनियमों के आधार पर ऑफर के नियमों में संशोधन करे या उन्हें समाप्त करे और कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार की देयता या वचनबद्धता के अधीन नहीं होगा कि उसे तत्कालीन या संशोधित कानूनों और विनियमों के अनुसार उस समय तक उक्त ऑफर का कार्यान्वयन जारी रखना है। यदि ऑफर के नियम किसी भी समय, प्रचलित कानूनों

/ विनियमों के पूर्ण अनुपालन के बगैर जारी नहीं रखे जा सकते तो यह ऑफर उस तिथि से समाप्त माना जाएगा जब संशोधित कानून लागू होकर ऑफर के नियमों को सीमित / प्रतिबंधित करे।

13. समाप्ति (TERMINATION)

(i) ऐक्सिस बैंक अपने विवेक से, इन सेवाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से, ग्राहक को बिना कोई पूर्व नोटिस दिए, इन सेवाओं को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या समाप्त कर सकता है।

(ii) ऐक्सिस बैंक बिना पूर्व नोटिस दिए, किसी भी समय, मेंटनेंस कार्य या रिपेयर करना आवश्यक होने पर या इमरजेंसी की स्थिति में या सुरक्षा कारणों से, जबकि सेवाएँ निलंबित करना आवश्यक हो, सेवाएँ निलंबित कर सकता है।

(iii) ऐक्सिस बैंक सेवाएँ वापस लेने या समाप्त करने से पहले एक वाजिब नोटिस देने का प्रयास करेगा।

14. खाता बंद करना

(i) ऐक्सिस बैंक को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित कारणों सहित किन्हीं भी कारणों से, ग्राहक को उचित नोटिस देते हुए खाता / खातों / सेवाओं को बंद या फ्रीज़ करे:

- (a) यदि रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया कोई भी विवरण / जानकारी और / या दस्तावेज़ झूठा / नकली / दोषपूर्ण पाया जाए;
- (b) खाते का अनुचित संचालन जिसमें धनराशि / ट्रांज़ेक्शन के प्रकार / अन्य कारण शामिल हैं;
- (c) खाते के असंतोषजनक संचालन पर।
- (d) खाते को रजिस्टर करने के लिए प्रयुक्त मोबाइल नंबर और बचत खाते को रजिस्टर करने के लिए प्रयुक्त मोबाइल नंबर अलग-अलग होने पर।
- (e) एक व्यक्ति द्वारा दो खाते रखने पर।

(ii) इस प्रकार खाता / खाते बंद / फ्रीज़ किए जाने पर हुए समस्त व्यय / शुल्कों का वहन पूरी तरह से ग्राहक को करना होगा।

(iii) PayGO खाते में बची शेष राशि, ग्राहक द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किए जाने पर उसके बचत खाते में अंतरित की जा सकती है। लेकिन यह बैलेंस ट्रांस्फर लागू कानूनों के अनुसार आयकर कटौती के अधीन रहेगा।

(iv) किन्हीं भी कारणों से, बचत / वेतन खाते / खातों को बंद करने पर, यदि इस खाते में कोई धनराशि है तो कार्डधारक वह राशि प्राप्त करने के उपाय करेगा और जब तक कार्डधारक वह राशि प्राप्त नहीं कर लेगा, ऐक्सिस बैंक को यह अधिकार होगा कि वह यह राशि किसी आंतरिक खाते में रखे और उस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

15. बैंकर का लियन और सेट-ऑफ़:

(i) ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए और / या ग्राहक द्वारा प्रयुक्त सेवाओं के लिए या ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक को दी गई अन्य किसी भी सुविधा के परिणामस्वरूप देय समस्त धनराशि की सीमा तक ग्राहक के किसी भी खाते में रखी समस्त जमाओं / बैलेंस पर सेट-ऑफ़ और लियन का सर्वोच्च अधिकार ऐक्सिस बैंक का होगा चाहे उस पर कोई भी लियन या चार्ज वर्तमान में अथवा भविष्य में हो। ऐक्सिस बैंक ग्राहक को बिना नोटिस दिए ग्राहक की बैंक के प्रति किसी भी देयता के निपटान का अधिकार रखता है, चाहे वास्तविक हो या प्रासंगिक, प्राथमिक हो या संपार्श्विक, इसमें ग्राहक द्वारा ऐक्सिस बैंक को इस दस्तावेज़ में या किसी अन्य दस्तावेज़ / करार में दिए गए क्षतिपूर्ति के वचन से उभरी देयता भी हो सकती है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है, और इसके लिए ऐक्सिस बैंक में ग्राहक के किसी भी खाते / खातों में रखे बैलेंस या अंतरित धनराशि को सेट-ऑफ़ किया जा सकता है, चाहे ऐसे खाते / खातों में रखी जमा / जमाएँ / बैलेंस देयता वाली मुद्रा में ही हो अथवा नहीं। ऐक्सिस बैंक के यहाँ उल्लिखित अधिकार ग्राहक के दिवालियापन, इन्सॉल्वेंसी, मृत्यु या कारोबार-समाप्ति से प्रभावित नहीं होंगे।

(ii) ऐक्सिस बैंक के सेट-ऑफ़, लियन या अन्य किसी भी अधिकार जो कि किसी भी समय कानून के प्रवर्तन, कॉन्ट्रैक्ट या अन्य तरीके से ऐक्सिस बैंक को इसके लिए अधिकार देते हैं, के अलावा ग्राहक ऐक्सिस बैंक को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करता है: (a) ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की किसी भी शाखा या कार्यालय (चाहे भारत में हो या बाहर कहीं) में स्थित ग्राहक के सभी या किन्हीं भी खातों और देयताओं को किसी भी समय जोड़ना या एकीकृत करना; (b) ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की किसी भी शाखा या कार्यालय (चाहे भारत में हो या बाहर कहीं) में जिस किसी खाते में

ग्राहक किसी भी समय लाभ का पात्र है (चाहे एकल या संयुक्त रूप से), के क्रेडिट बैलेंस को (ग्राहक को पूर्व नोटिस दिए बगैर) किसी भी समय सेट-ऑफ़ या ट्रांस्फर करने का अधिकार जिससे ग्राहक की देयताएँ (चाहे वे देयताएँ वर्तमान में हों या भविष्य में, वास्तविक हों या प्रासंगिक, प्राथमिक या संपार्श्विक, संयुक्त हों या एकल) जो कि ग्राहक के खाते / खातों पर लागू नियमों के तहत हों या ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक को प्रदत्त अन्य सुविधाओं पर लागू नियमों के तहत उपजी हों।

(iii) ऐक्सिस बैंक के उपर्युक्त अधिकार ऐक्सिस बैंक के प्रति ग्राहक की समस्त देनदारी, वह जब कभी देय हो, की वचनबद्धता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी और वह ऐक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक से बकाया की वसूली के किसी भी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बगैर होगी।

16. अप्रत्याशित घटना

(i) कोई भी अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में बैंक ग्राहक को सूचित करेगा और चर्चा करके पारस्परिक स्वीकार्य समाधान खोजने की कोशिश करेगा। “अप्रत्याशित घटना” यानी ऐसी स्थिति जो बैंक के उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई हो, इसमें किसी कम्यूनिकेशन सिस्टम की अनुपलब्धता, भुगतान प्रणाली या प्रक्रिया में सेंध या वाइरस, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, दैवीय घटना, नागरिक विद्रोह, हड़ताल या किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, बगावत, युद्ध, सरकार के कार्यकलाप, कम्प्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर डेटा और स्टोरेज उपकरण की अनधिकृत ऐक्सेस, कंप्यूटर क्रेशेज़, सिक्युरिटी और एन्क्रिप्शन में सेंध आदि घटनाएँ हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(ii) यदि अप्रत्याशित घटना की वजह से बैंक का कार्यनिष्पादन रुकता है, बाधित या विलंबित होता है तो बैंक इन नियमों या विशेष नियमों-शर्तों के तहत अपने किसी भी दायित्व के निर्वहन में विफल रहने पर जवाबदेह नहीं होगा और ऐसी स्थिति में सभी दायित्व अप्रत्याशित घटना के जारी रहने तक निलंबित रहेंगे।

17. विविध

(i) रजिस्ट्रेशन के दौरान कार्डधारक का नियमों और शर्तों के चेक बॉक्स पर क्लिक करना इन नियमों और शर्तों के प्रति बिना किसी शर्त के सहमति व्यक्त करना और उन्हें स्वीकार करना माना जाएगा।

(ii) बैंक अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कार्ड से संबंधित नीतियों तथा कार्ड पर दी गई सुविधाओं और प्रस्तावित परिलाभों में परिवर्तन करे और समय-समय पर इन नियमों-शर्तों में बदलाव करे और अद्यतन नियम व शर्तें ऐक्सिस बैंक वेबसाइट www.axisbank.com पर अपलोड करे। कार्डधारक ऐसे परिवर्तनों के प्रति वचनबद्ध है, केवल ऐसी स्थिति में ही ये परिवर्तन लागू नहीं होंगे, यदि उसका खाता ऐसे परिवर्तन लागू होने से पहले डी-रजिस्टर कर दिया गया हो।

(iii) ये नियम कार्डधारक और बैंक के बीच करार का हिस्सा हैं। बैंक की सेवा स्वीकार करके कार्डधारक इन नियमों व शर्तों को स्वीकार करता है।

(iv) रजिस्ट्रेशन के दौरान नियम और शर्तें स्वीकार करके ग्राहक स्वीकार करता है कि उसे नियम और शर्तें तथा BCSBI कोड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से प्राप्त हुए हैं।

(v) बैंक नीचे दिए गए उद्देश्यों / कारणों से परिवर्तन कर सकता है (लेकिन ये इन उद्देश्यों/कारणों तक ही सीमित नहीं है):

✓ केवल गिफ्ट कार्ड के उपयोग पर शुल्क लगाना या उससे संबंधित शुल्क बढ़ाना

✓ ग्राहक के कार्ड से किए गए ट्रांज़ेक्शंस से संबंधित नुकसान के लिए कार्डधारक की देयता बढ़ाना

(vi) यदि कार्ड ट्रांज़ेक्शंस के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या प्रयुक्त उपकरण की सुरक्षा को मेंटेन रखने या बहाल करने के लिए कोई परिवर्तन करना ज़रूरी है तो बैंक बिना कोई नोटिस दिए वह परिवर्तन लागू कर सकता है।

(vii) इनकी या किसी अन्य शुल्क की सूचना ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट www.axisbank.com के माध्यम से ग्राहक तक पहुँचाई जा सकती है।

(viii) बैंक कार्डधारक को इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन की सूचना ऐक्सिस बैंक वेबसाइट पर पोस्ट करके दे सकता है।

(ix) ये नियम और शर्तें: a) पूर्व में किए गए किसी भी प्रस्ताव, रिप्रज़ेंटेशन, समझ और सहमति, चाहे वह व्यक्त हो या अंतर्निहित, चाहे मौखिक में हो या लिखित में, से अधिक प्रबल होंगी और, b) बैंक के जमा खाते के सामान्य नियमों-शर्तों और अन्यथा लागू बैंक के अन्य किन्हीं नियमों-शर्तों के अतिरिक्त लागू होंगी। लेकिन विरोधाभास की स्थिति में प्री-पेड वॉलेट सुविधा के अंतर्गत हुए ट्रांज़ेक्शंस के लिए प्री-पेड वॉलेट सुविधा के इन नियमों और शर्तों को प्रमुखता दी जाएगी।

18. समनुदेशन (Assignment)

बैंक को यह अधिकार होगा कि वह इन नियमों के अंतर्गत ऐक्सिस बैंक के अधिकार और दायित्व ऐक्सिस बैंक की पसंद के किसी भी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से और ऐक्सिस बैंक द्वारा तय तरीके और नियमों व शर्तों के तहत बेचे, असाइन करे, या अंतरित करे। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण या अंतरण ग्राहकों और अन्य सभी व्यक्तियों पर अंतिम रूप से बाध्यकारी होंगे। ग्राहक, उसके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, एक्ज़ीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और वारिस इन नियमों के प्रति वचनबद्ध हैं। बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए सब-कॉन्ट्रेक्ट कर सकता है और एजेंट / सेवा प्रदाता रख सकता है। लेकिन ग्राहक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह यहाँ उल्लिखित अपने अधिकार और दायित्व किसी को अंतरित या असाइन करे।

19. छूट (Waiver)

ऐक्सिस बैंक द्वारा अपने किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार को निष्पादित करने में हुई किसी भी विफलता या विलंब को उसकी छूट नहीं माना जाएगा और न ही उसे किसी भी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का एकल या आंशिक उपयोग माना जाएगा। यहाँ दिए गए ऐक्सिस बैंक के अधिकार और समाधान समेकित रूप से हैं, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों या समाधानों को छोड़कर नहीं हैं।

20. नियंत्रक कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र

ये नियम और शर्तें और / या ट्रांज़ेक्शन भारतीय कानून द्वारा संचालित हैं और कार्ड के उपयोग के संबंध में उपजे किसी भी दावे या विवाद के लिए मुंबई के सभी न्यायालय इसका एकमात्र न्यायाधिकार क्षेत्र होंगे।